

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :— प.रि.रिपोर्ट.2(7)(2)विविध/अभि/16/ ८१५५-९७ जयपुर, दिनांक :— ३१.३.१७


प्रेषिति :—

समस्त सहायक निदेशक अभियोजन
राजस्थान।

विषय :— अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 एवं
संशोधित नियम 2016 के नियम 4 के तहत त्रैमासिक तथा
वार्षिक सूचना भिजवाने बाबत।


संदर्भ :— निदेशालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 333-75 दिनांक
09.01.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आपको अनुसूचित जाति/जनजाति
अत्याचार निवारण नियम 1995 एवं संशोधित नियम 2016 के नियम 4 के तहत मासिक
सूचना भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में आप संलग्न प्रपत्रों में त्रैमासिक
तथा वार्षिक सूचना आवश्यक रूप से एक सप्ताह में भिजवाये।


(अशोक कुमार बमनावत)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रभावी
मोनेटरिंग करते हुए अपेक्षित सूचनाये एक सप्ताह में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना
सुनिश्चित करें।


अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

अनुसूचित जाति / जनजाति निवारण संशोधित नियम 2016 के तहत दोषमुक्त प्रकरणों में अपील करने बाबत सूचना
तिमाही अवधि 01 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक

क्र. सं.	जिले का नाम	तिमाही में कितने प्रकरणों का दोषमुक्ति के रूप में निस्तारण हुआ	दोषमुक्ति के विरुद्ध कितने प्रकरणों में अपील प्रस्तावित की गई	किस / कितने लोक सेवकों की लापरवाही के कारण प्रकरण असफल रहे*

*आवश्यकतानुसार पृथक पेज संलग्न कर पूर्ण विवरण दे।

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

**अनुसुचित जाति/जनजाति निवारण संशोधित नियम 2016 के तहत पीड़ित व्यक्तियों को अनुतोष
तिमाही अवधि 01 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक**

क्र. सं.	जिले का नाम	अनुसुचित जाति के अनुतोष प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	अनुसुचित जनजाति के अनुतोष प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	कुल अनुतोष प्राप्त व्यक्तियों की संख्या

